

परंपरा का संरक्षण: जल्लीकट्टू पर ऐतिहासिक फैसला

यह एडिटोरियल 19/05/2023 को 'हिंदू बजिनेस लाइन' में प्रकाशित "Supreme Court upholds Tamil Nadu law allowing jallikattu: What is this decade-old case?" लेख पर आधारित है। इसमें जल्लीकट्टू और इसी तरह के अन्य खेलों के संदर्भ में पशु अधिकारों और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रसंग में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

जल्लीकट्टू अनुच्छेद 29, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज मामला, पॉंगल, कंबाला,

मेन्स के लिये:

जल्लीकट्टू का पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व, जल्लीकट्टू से जुड़े मुद्दे

दक्षणी भारतीय राज्य तमिलनाडु समृद्धि सांस्कृतिक परंपराएँ रखता है जिसके दर्शन उसके प्रव-त्योहारों और वभिन्न धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में होते रहते हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है जल्लीकट्टू (Jallikattu) जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों को समान रूप से लुभाता रहा है। साँड़ों (bull) को वश में करने का यह प्राचीन खेल, जिसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष तक प्राचीन है, तमिलनाडु के लोगों के लिये ग्रव और वरिसत का प्रतीक रहा है।

- हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** की पाँच-न्यायाधीशों की **संविधान पीठ** ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य विधानसभाओं द्वारा पशु क्रूरता निवारण (Prevention of Cruelty to Animals- PCA) अधिनियम, 1960 में किये गए संशोधनों उचित करार दिया; इस प्रकार, जल्लीकट्टू, कंबाला (kambala) और बैलगाड़ी दौड़ जैसे खेलों को अनुमति प्रदान की।

जल्लीकट्टू क्या है?

- जल्लीकट्टू, जिसे एरुथालुवुथल/एरुथाञ्चुवुथल (eruthazhuvuthal) के नाम से भी जाना जाता है, साँड़ों को वश में करने का खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार के लिये साँड़ को वश में करने का प्रयास करते हैं और यद्यपि असफल होते हैं फिर साँड़ का मालकि पुरस्कार जीत जाता है।
- जल्लीकट्टू जल्ली (Calli: coins) और कट्टू (tie) दो शब्दों से मिलकर बना है, जो साँड़ के सींगों पर सकिकों के बंडल को जोड़ने की प्रथा को इंगति करता है।
- इसे जनवरी के दूसरे सप्ताह में **पॉंगल (एक फसल त्याहार)** के दौरान आयोजित किया जाता है और यह प्रकृतिका उत्सव मनाने तथा अच्छी फसल के लिये धन्यवाद ज्ञापति करने का भी प्रतीक है जहाँ पशु-पूजा भी अनुष्ठान का एक अंग है।
- इसे तमिलनाडु के मदुरै, तरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई और डिल्लीगुल ज़िलों में आयोजित किया जाता है, जिसे 'जल्लीकट्टू बेलट' के रूप में जाना जाता है।
- जल्लीकट्टू का ऐतिहासिक महत्व
- जल्लीकट्टू सदर्थी से चली आ रही एक सुवीर्घ परंपरा रही है जिसकी उत्पत्तिका सूत्र मोहनजोदहो में पाई गई एक प्राचीन मुहर से भी जुड़ता है, जो लगभग 2,500 ईसा पूर्व से 1,800 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है।
- जल्लीकट्टू का संदर्भ संगम युग के प्रसादित तमिल महाकाव्य 'शलिपपादकिराम' (Silappadikaram) में भी पाया जाता है।

नरिण्य में क्या कहा गया है?

- सर्वोच्च न्यायालय के नरिण्य में कहा गया है कि जल्लीकट्टू पर वर्ष 2017 का संशोधन अधिनियम एवं नियम संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 (पशु क्रूरता का निवारण) और अनुच्छेद 51 A(g) (प्राचीन मात्र के प्रतीक्या भाव रखना) के अनुरूप हैं।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि संशोधन अधिनियम ने इसमें भागीदारी करने वाले पशुओं की पीड़ा और उनके प्रतिक्रूरता में उल्लेखनीय कमी की है।
 - न्यायालय ने कहा कि 'सांस्कृतिक परंपरा' के नाम पर वैधानिकी कानून का कोई भी उल्लंघन (इस मामले में वर्ष 2017 का कानून) दंडात्मक कानून के दायरे में होगा।

- याचकिकर्ताओं ने यहाँ तक तरक दिया था कि पशुओं को भी गरमी के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन न्यायालय ने माना कशीज्य का कानून संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन नहीं करता है।
- न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधियाकि द्वारा आयोजित 'विधायी अभ्यास' में पाया गया किजल्लीकट्टू तमलिनाडु में पछिली कुछ शताब्दियों से आयोजित किया जा रहा है तथा इसकी सांस्कृतिक वरिसत का अंग है और इसलिये वह विधायिका के दृष्टिकोण को बाधति नहीं करना चाहता है।
- घटनाक्रम की समयरेखा:
 - भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय को एक रपिरेट सौंपी जिसमें कहा गया कि जल्लीकट्टू पशु करूरता नविरण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप पशुओं के प्रतिदियापूरण वयवहार का अनुपालन नहीं करता है।
 - वर्ष 2006 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिविधि लगाया गया था। इसके तुरंत बाद ही, राज्य सरकार द्वारा इस प्रतिविधि को अप्रभावी करने के लिये तमलिनाडु जल्लीकट्टू वनियिमन अधिनियम 2009 (Tamil Nadu Regulation of Jallikattu Act of 2009) पेश किया गया था।
 - वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने उन पशुओं की सूची में साँड़ों/बैलों को भी शामिल करने का कदम उठाया, जिनके प्रशक्षण एवं प्रदर्शन पर प्रतिविधि है, जिससे जल्लीकट्टू पर रोक लग गई।
 - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जल्लीकट्टू साँड़ों के प्रतिकरूरता के समान है और देश में साँड़ों को वश में करने तथा बैलगाड़ी दौड़ जैसे सभी खेलों पर प्रतिविधि लगा दिया।
 - वर्ष 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2011 की अपनी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके आधार पर शीर्ष न्यायालय ने प्रतिविधि लगाने का आदेश दिया था।
 - तमलिनाडु राज्य सरकार ने [पशु करूरता नविरण \(तमलिनाडु संशोधन\) अधिनियम 2017](#) और [पशु करूरता नविरण \(जल्लीकट्टू का आयोजन\) नियम 2017](#) पारति किया, जिससे एक बार फिर इस खेल के आयोजन के द्वारा खुल गए।
 - फरवरी 2018 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) और PETA ने तमलिनाडु सरकार द्वारा पारति वर्ष 2017 के कानूनों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

संघर्ष के क्या कारण थे?

- परिचय:
 - 2000 के दशक की शुरुआत से ही जल्लीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिविधि लगाने के लिये पशु अधिकार कार्यकरताओं द्वारा संघर्ष किया जा रहा है।
 - वर्तमान मामले/केस में वादी के रूप में पशु कल्याण बोर्ड, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनमिल्स (PETA), कम्पैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन (CUPA), फेडरेशन ऑफ इंडियन एनमिल प्रोटेक्शन ऑर्गनाइजेशन (FAIPO) और एनमिल इक्वलिटी (Animal Equality) जबकि प्रतिवादी के रूप में भारत संघ और तमलिनाडु राज्य शामिल हैं।
 - वादियों ने वर्ष 2017 में तमलिनाडु विधानसभा द्वारा पारति पशु करूरता नविरण अधिनियम में संशोधन को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाएँ दायर की हैं।
- जल्लीकट्टू के प्रक्ष में तरक :
 - तमलिनाडु सरकार का तरक है कि सिद्धियों पुरानी जल्लीकट्टू परथा एक महत्वपूरण धार्मकि और सांस्कृतिक आयोजन है जिस पर पूरण रूप से प्रतिविधि नहीं लगाया जाना चाहिये।
 - उनके अनुसार, समाज के विकास के साथ-साथ इस अभ्यास को विधिमति और संशोधन किया जा सकता है। इसके सांस्कृतिक महत्व को उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिये संरक्षित रहे।
 - यह परथा [संविधान के अनुच्छेद 29 \(1\)](#) के तहत संरक्षित है।
 - जल्लीकट्टू को "पशुओं की इस मूल्यवान सवादेशी नस्ल के संरक्षण के लिये एक साधन" बताते हुए सरकार ने तरक दिया है कि यह पारंपरिक आयोजन द्वारा भाव एवं मानवता के संदिधांतों का उल्लंघन नहीं करता है।
 - जल्लीकट्टू पर प्रतिविधि को तमलिनाडु की संस्कृतिओं और समुदाय के प्रतिशितुता के रूप में देखा जाएगा।
- विपक्ष में तरक:
 - जल्लीकट्टू के विरोधियों का तरक है कि पशु जीवन मानव जीवन से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक जीवति प्राणी में अंतर्नहिति स्वतंत्रता होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिये।
 - उनका दावा है कि जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिविधि को नष्टप्रभावी करने के लिये तमलिनाडु का कानून लाया गया था और इस परथा के परणिमसवरूप मनुष्यों तथा साँड़ों दोनों के लिये मृत्यु एवं आघात की घटनाएँ सामने आई हैं।
 - आलोचकों का तरक है कि भागीदार प्रतियोगियों द्वारा जिस तरह साँड़ों पर झपटा जाता है, वह 'पशुओं के प्रतिअत्यधिक करूरता' को प्रकट करता है।
 - उनका तरक है कि संस्कृतिके अंग के रूप में जल्लीकट्टू का कोई औचित्य नहीं है और उन्होंने इसकी तुलना सती एवं दहेज जैसी प्रथाओं से की है, जिन्हें कभी संस्कृतिके अंग के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में कानून के माध्यम से उन्हें प्रतिविधित किया गया।

निषिकर्ष:

- जल्लीकट्टू कबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे साँड़ों को वश में करने वाले खेलों की अनुमतिदेने का सर्वोच्च न्यायालय का हाल का निश्चय जारी बहस में एक महत्वपूरण मील का पत्थर है।
- जहाँ न्यायालय का निश्चय जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है, वही यह पशुओं के प्रतिकरूरता को रोकने और वैधानिक कानून को बनाए रखने के महत्व पर भी बल देता है।

- सांस्कृतिक प्रथा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना ही इस मामले में उपयुक्त वृष्टिकोण होगा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के नरिण्य में भी नहिं है।

अभ्यास प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जललीकट्टू पर अपने पछिले नरिण्य को, जहाँ इसे साँड़ों के प्रतिक्रूर माना गया था और देश में साँड़ों को वश में करने एवं बैल दौड़ जैसे सभी खेलों को प्रतिबिधित कर दिया गया था, हाल के नरिण्य में पलट देने का क्या महत्त्व है? इस परप्रेरक्ष्य में हाल के नरिण्य का विश्लेषण कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/preserving-tradition-the-landmark-ruling-on-jallikattu>

